


09/11/22

Not press

 4

9.11.22

आज प्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित
जाये। वकील वादी ने वादी के वाद को
नोट प्रेस में खारिज किये जाने का निवेदन
किया। स्वीकार किया जाला है। वकील वादी
ने आपसी सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किये।
अतः वादी के वाद को नोट प्रेस में खारिज
किया जाकर नोट प्रेस में खारिज किया जाकर
अग्रिम कार्यवाही स्वी एतर पर शेष की जाती
है। प्रावली फौजदारी नुमांर होकर नुंम्बर से
कूम ही। बाद तकमिल समा मिला लेखन भण्डार
ही। सुनाया गया।

